

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/छात्रावास सुविधा विकास/18-19/

दिनांक : 25/1/19

5163-85

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

बांसवाडा।

विषय : राजकीय जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय, हरेंगजी का खेडा पं.स. घाटोल में नवीन विद्युत कनेक्शन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : आपका पत्रांक परि/अधि/टीएडी/निर्माण/बांस./18-19/167-68 दिनांक 21.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र अनुसार राजकीय जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय, हरेंगजी का खेडा पं.स. घाटोल में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1,16,476 (एक सोलह हजार चार सौ छिहतर) जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य हेतु राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-127/2014-15 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि में से होगा।

शर्तें-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
2. वित्तीय स्वीकृति की सीमा से अधिक राशि का व्यय इस कार्यालय की पुर्वानुमति बिना नहीं किया जावेगा। राशि का व्यय तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जावेगा।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
4. कार्य समय पर पूर्ण हो यह सुनिश्चित किये जावे।
5. कार्य के फोटोग्राफ्स (कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर) इस विभाग को प्रेषित किये जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः लौटाई जावे।

भवदीय

(विनिता बोहरा) I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

कृ.पू.उ.


क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/छात्रावास सुविधा विकास/18-19/
प्रतिलिपि-

5169-85

दिनांक :

25/11/19

1. विशिष्ट शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. बांसवाडा।
7. सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. शहर उपखण्ड द्वितीय बांसवाडा।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-127/2014-15 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध राशि 1.31 लाख में से राशि रू. 1,16,476 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करावे।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर/बांसवाडा को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. प्राचार्य/अधीक्षिका, राजकीय जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय, हरेंगजी का खेडा, पं.स. घाटोल जिला बांसवाडा।
11. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
12. ~~कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।~~
13. प्रभारी अधिकारी शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
14. गार्ड फाईल।


 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर (राज.)